मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी, जिला–बैतूल (म.प्र.)

Email:setrgsarni@gmail.com फेक्स न. 07146-278987 / फोन नं. 278987

क्र. 505/0100/अधी.अभि.(प्रशि.)/अप्रेंटिस/E-21/146 सारनी, दिनांक 18/07/2024

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ग्रेज्यूएट/टेक्निशियन (डिप्लोमा)/आई.टी.आई. अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

म.प्र.राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक/सामान्य स्नातक स्ट्रीम (B.A./ B.Sc/B.Com.) कॉलेजों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रॉच/ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में **ऑन लाईन** आमंत्रित किये जाते है :–

ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्लु.एस.	कुल योग
01.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	02	01	01	01	01	06
02.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	01	01	01	01	.....	04
03.	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	01	....	....	....	.....	01
	कुल	04	02	02	02	01	11

डिप्लोमा अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्लु.एस.	कुल योग
01.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	01	01	01	01	....	04
02.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	01	01	01	....	....	03
03.	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	01	.....	.....	....	.....	01
	कुल	03	02	02	01	00	08

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज. जा.	अ.जा.	ई. डब्ल्यू.एस.	दिव्यांग	कुल
01.	विद्युतकार	14	13	10	08	05	–	50
02.	फिटर	14	13	10	08	05	–	50
03.	मशीनिस्ट	02	01	01	01	–	–	05
04.	वेल्डर	05	03	04	02	01	–	15
05.	उपकरण यांत्रिकी	02	01	01	01	–	–	05
06.	मानचित्रकार (सिविल)	02	01	01	01	–	–	05
07	टर्नर	02	01	01	01	–	–	05
08.	डीजल मैकेनिक	02	01	01	01	–	–	05
09.	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	03	02	02	02	01	–	10
10.	मानचित्रकार (मैकनिकल)	02	01	01	01	–	–	05

11.	मैकेनिक (सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, औद्योगिक कूलिंग और पैकेज एयर कंडीशनिंग)	02	01	01	01	–	–	05
12.	मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी	02	01	01	01	–	–	05
13.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	02	01	01	01	–	–	05
	कुल योग	**54**	**40**	**35**	**29**	**12**	–	**170**

टीप :–

i- आई.टी.आई. अप्रेंटिस के सरल क्रमांक– (09) कंम्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) में कुल 10 अभ्यर्थियों में से मात्र 01 पद दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए संबंधित श्रेणी में ही आरक्षित है, तथा आरक्षण नियम 2019 (यथा संशोधित) एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।

ii- उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। ऑन–लाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक **23/08/2024** है।

iii- अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान. उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

iv- इस वर्ष में समय– समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्ते :–

01. **शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में :–**

(अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री **अथवा शेष रिक्त पदों के लिये सामान्य स्नातक स्ट्रीमस (B.A./ B.Sc./ B.Com).**

(ब) टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस – म.प्र. तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।

(स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस – शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी./ एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. **पात्रता –**

(अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेंरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

(स) **ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस के चयन हेतु अभियांत्रिकी शाखा को प्राथमिकता दी जाएगी तदोपरान्त शेष रिक्त पदों के लिये सामान्य स्नातक स्ट्रीमस (B.Sc./ B.Com./ B.A.) के उम्मीदवारों (वर्गवार) के कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर चयन किया जाएगा।**

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नही होगी।

04. ऑन–लाइन आवेदन पत्र में **अपूर्ण/त्रूटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन** निरस्त कर दिया जावेगा।

05. स.ता.वि.गृह सारणी 2X250 मेगावाट राखड बांध विस्तारीकरण हेतु ग्राम धसेड में भू अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के एक शिक्षित योग्य सदस्य प्रति परिवार नियोजित किए जाने वाले शिक्षुओं की भर्ती, में मेरिट के आधार पर वरीयता देना भी प्रस्तावित है।

06. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

07. ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) हेतु आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल **https://nats.education.gov.in** **(NATS 2.0)** एवं आई.टी.आई हेतु आवेदक को **https://apprenticeshipindia.gov.in** पर अपना **पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)** करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय-समय पर अपना ई-मेल आई. डी. तथा कम्पनी की वेबसाईट https://mppgcl.mp.gov.in भी देखते रहे।

08. वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण (ऑफर लेटर) अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर उनके अप्रेंटिस प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई. डी पर ही किया जावेगा। अतः आवेदको से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहे तथा अपना ई-मेल आई. डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो। त्रूटिपूर्ण/गलत ईमेल आई-डी का उल्लेख करने या समय-समय पर ईमेल आई-डी नही देखने पर पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

09. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण **अप्रेंटिसशिप एक्ट** के प्रावधानो के अनुसार रहेगा।

10. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार म.प्र.पा.जन.कं.लि. सारनी अपने पास सुरक्षित रखती है।

11. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। **बैतूल, छिंदवाडा, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), नरसिंहपुर एवं हरदा** जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। तदोपरांत रिक्त सीटों को अन्य जिलों के उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

12. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को **सुरक्षा की दृष्टि से** 01 **वर्ष का दुर्घट्ना संबंधी बीमा** (Accidental Insurance) चयनित दिनांक से कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

13. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रूपये के स्टाम्प पेपर 2 रूपये कि रसीद टिकट के साथ पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।

14. आवेदन से सम्बधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट **http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html** पर उपलब्ध है।

15. **आरक्षण एवं आयु में छूटः-**

i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ई.डब्लु.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम 2019 (यथा संशोधित) एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु. जाति./अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नही होते है तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गो से भरा जा सकेगा।

ii. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गो/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की सख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।

iii. सभी वर्गो में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि **23/08/2024** के आधार पर की जावेगी।

iv. **सामान्य वर्गो के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होगी** तथा अनु.जाति/अ.ज. जा./अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट होगी।

v. **शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।**

16. चयन प्रक्रिया :- आई.टी.आई उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत अप्रेंटिसशिप हेतु वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 एवं 2024 में आई.टी.आई उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होगें।

i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, म.प्र.पा.ज.कं.लिमि, सारनी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंकों के प्रतिशत के आधार और ग्रेज्यूएट/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस हेतु डिग्री/डिप्लोमा में सीजीपीए के अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

ii. **उम्मीदवार केवल प्राप्त व्यवसाय प्रमाण पत्र (Trade Certificate) में अथवा एक ही व्यवसाय में आवेदन कर सकता है।**

iii. ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन अभ्यर्थी केवल उसी इंजीरियरिंग की शाखा में आवेदन कर सकता है, जिसमें इंजीनियरिंग शाखा में उसने अभियांत्रिकीय में स्नातक/पत्रौपाधि प्राप्त की हो।

iv. **निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।**

17. स्टाईपेण्ड-

कौशल विकास एवं उधमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	आर्हता	मसिक स्टाईपेण्ड (रु0 में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई अप्रेंटिस	7700/-
2	दो वर्षीय आई.टी.आई.	8050/-
3	टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस	8000/-
4	ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस	9000/-

नोट :- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नही होगी।

18. चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र :-

i. चयनित उम्मीदवार को चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र (Certificate of Medical Fitness) जो कि शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ जिला चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसे उम्मीदवारों द्वारा ज्वांइनिग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र का प्रारूप (Annexure-I) संलग्न है।

ii. दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत चिकित्साधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोडकर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

19. आवेदन कैसे करें :-

आई.टी.आई उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत अप्रेंटिसशिप हेतु वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 एवं 2024 में आई.टी.आई उत्तीर्ण अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होगें।

आई.टी.आई उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाईट **https://apprenticeshipindia.gov.in** के माध्यम से तथा ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) उम्मीदवार **https://nats.education.gov.in**

(NATS 2.0) के माध्यम से दिनांक 23/08/2024 की मध्य रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाईन पद्धति से भरे जा सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

- आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल https://apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो निम्नांकित प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते है :-

i. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट https://apprenticeshipindia.gov.in पर Toolbar में Apprentices → Candidate Registration पर Click करें।

ii. आपको https://apprenticeshipindia.gov.in/register/candidate Link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।

iii. Toolbar में Register बटन पर Click करें। "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।

iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) Section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग की प्रविष्टि करें।

v. Contact Details section में अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड प्रविष्ट करें।
अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर लाग-इन करने के लिये इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।

vi. Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें ।

vii. Preference section में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आप अपने Sector/व्यवसाय (Trade) की प्राथमिकता का चयन करें ।

viii. चौथे चरण (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र व स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें।

ix. अन्तिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा। Edit बटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारियां सही होने पर Confirm बटन पर क्लिक (Click) करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।

x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Detail में दिये गये E-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

xi. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत "Establishment Search" में जाकर MADHYA PRADESH POWER GENERATING COMPANY LIMITED सारनी अथवा Establishment No. E11162300459 का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें।

- **ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया :-**

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) के तहत ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिसशिप हेतु वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 एवं 2024 में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होगें।

i. ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) उम्मीदवार https://nats.education.gov.in (NATS 2.0) पोर्टल पर लॉगआन कर Enroll पर click करे।

ii. Enrollment प्रक्रिया के तहत स्वम् को पोर्टल पर as a student पंजीकृत करते हुये चाही गई जानकारी प्रविष्ट करें।

iii. Enrollment प्रक्रिया पूर्ण होते ही उम्मीदवार को अपना ID और Password प्राप्त होगा।

iv. अपने login ID और Password से पोर्टल पर login कर **M.P. POWER GENERATING COMPANY LIMITED** में अपना आवेदन पूर्ण करें।

v. किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी तथा संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

19. महत्त्वपूर्ण निर्देश एवं शर्ते :-

i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।

ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी आवश्यताओं पर खरे नहीं उतरते है अथवा उन्होने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ई.डब्लु.एस./दिव्यांग उम्मीदवार कृपया **अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद** में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।

iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑन-लाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते है, तो **Edit my profile** में जाकर परिवर्तन कर सकते है।

v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।

vi. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.जं.क.लि. सारनी द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एव विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

vii. अप्रेंटिस प्रशिक्षु को म.प्र.पॉ.ज.क.लि.,स.ता.वि.गृ.,सारनी में लागू अवकाश नियमावली अनुसार आकस्मिक,चिकित्सा,स्थानीय,राष्ट्रीय,वैकल्पिक एवं साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी।

viii. प्रशिक्षुओं का चयन होने की स्थिति में उनके **निवास स्थान के पुलिस थाने द्वारा जारी किया गया "चरित्र प्रमाण पत्र" जमा करना आवश्यक होगा।**

ix. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।

x. म.प्र.पा.जं.कं.लि., सारनी को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढाने का अधिकार होगा।

xi. चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

xii. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कडिका 22 (1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं है। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.जं.कं.लि., सारनी किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

(एस.एन.अतहर)
अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)
म.प्र.पॉ.ज.क.लि.,सारनी

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below the rank of Asst. Surgeon of Central / State Hospital.

01. Name (In Block letters) ....S/D of.......................................

02. Age ...., Height................................., Weight......................., Chest Expension.......................

03. Vision in each Eye :

04. Hearing in both Ears :

05. Skin Whether any evidence of acute or chronic skin disease of chronic ulceration.

06. Speech

07. Alimentary System: (a) Suger in Urine...................., (b) Hernia/ Hydrocele/ Piles............................ (c) Remarks, if any other disorder found.

08. Cardio Vasular System: (a) Blood Pressure....................,(b) Remarks, if any other disease is found.

09. Respiratory System:

10. Genito Urinary System:

11. Skeletal System:

12. Nervous System:

13. Glandular System: Whether any evidence of tuberculosis/ or other disease of glandular system including endocirine glands................................

I certify that I have examined Mr/ Ms ....Son/ Doughter of ....The standard of physical fitness has been checked as per SCHEDULE-II (Rule-4) of Apprentices Rules 1992. He /She is physically fit for being engaged as an apprentices in a Trade ....under the Apprentices Act. 1961.

....

Signature of the candidate

Signature of the Medical Officer
With legible seal